और क्या सरकार ने इतनी राशि में निरन्तर वृद्धि होने के कारणों का अध्ययन किया है ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को रिलीज की गई खाद्य राजसहायता निम्नानुसार है :—

वर्ष	राजसहायता की राशि (करोड़ रुपयों में)
1987-88	2,000
1988-89	2,200
1989-90	2,476

(ग) भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता का भुगतान करने के लिए 1990-91 के लिए बजट अनुमानों में 2,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

सरकार भारतीय खाद्य निगम के राजसहायता बजट की समीक्षा करती रहती है । अनाजों की इकनामिक लागत, जिसमें वसूली मूल्य, वसूली प्रासंगिक खर्चे, वितरण संबंधी प्रासंगिक खर्चे आदि शामिल होते हैं, बढ़ती जा रही है जबकि खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य अपेक्षाकृत कम दरों पर रखे गए हैं ताकि आम उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध किए जा सकें । इसके परिणामस्वरूप, खाद्यान्नों की इकनामिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के बीच अंतर बढ़ रहा है जिसके फलस्वरूप राजसहायता में वृद्धि हुई है । तथापि, राजसहायता में वृद्धि को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम अपनी परिचालन लागत में कमी करने के लिए निरन्तर पग उठा रहा है।

Encouragement to sustainable agriculture in the country

*70. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in foreign countries efforts are being made to evolve agriculture without the use of chemical fertilisers, known as sustainable agriculture?

(b) if so, what is Government's reaction to adoption of such type of agriculture in the country;

(c) whether any studies have been conducted into the possibilities of encouraging sustainable agriculture in India to lessen the dependance on chemical fertilisers; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) Yes, Sir.

(b) Research and development efforts by the Government duly emphasize the importance of increasing the productivity and sustainability of land use systems including agriculture. Our efforts in this regard centre around;

(i) Increasing productivity per unit area considering the resources available in different agro-climatic regions.

(ii) Preventing/minimising the degradation of land and water resources.

(iii) Improving the efficiency of production inputs such as water, nutrients including organics, pesticides and tillage operations etc,

(c) Yes, Sir.

(d) The technologies already available and being refined to promote sustainable agriculture consist of;

(i) Developing conservation farming systems through adoption of suitable soil and water conservation measures.

(ii) Developing alternate land use systems such as agro-forestry, silvi-pasture, agri-horticulture etc. to suit the potential land capability.

(iii) Developing integrated nitrient management systems with emphasis on promotion of various sources of organics such as farm yard manure, compost, sludges from bio-gas plants and sewage treatment plant, crop residues, green manure crops, legumes in crop rotation, green leaf manuring and use of bio-fertilizers in addition to chemical fertilizers.

Fixation of minimum support prices by the Commodities Boards

*71. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to authorise the Commodity Boards to fix the minimum support prices of the concerned commodities, delinking those from the purview of the commission for Agricultural Cost and Prices; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) and (b) No change in the present system of the Commission for Agricultural Costs and Prices recommending procurement/minimum support prices for major agricultural commodities is contemplated.

[*72 **Transferred to the 14th May, 1990.**]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का पंजीकरण तथा आवंटन

*73. **श्री कपिल वर्मा :**
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के पंजीकरण तथा आवंटन के लिये अनुसरण की जा रही नीति को लेकर लोगों में काफी रोष है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण योजना पहली बार किस तारीख को आरंभ की गई थी और उस योजना के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया था तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को फ्लैट दिये जा चुके हैं ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक ऐसी कितनी आवास योजनाएं चलाई गई हैं तथा इन योजनाओं के अंतर्गत कितने लोगों को फ्लैट आवंटित किये जा चुके हैं और उनका योजनावार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) प्रथम पंजीकरण योजना 11 नवम्बर, 1969 को आरम्भ हुई थी । 10866 व्यक्ति पंजीकृत किये गये थे । सभी पात्र पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन कर दिया गया है ।

अब तक 17 योजनायें आरम्भ की गई हैं, जिनमें 1,91,916 व्यक्तियों को नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार फ्लैटों का आवंटन किया गया है :—

योजना का नाम	फ्लैट आवंटित किए व्यक्तियों की संख्या
1. सामान्य आवास योजनायें I से VII	65,590
2. नवीन पद्धति योजना, 79	93,057
3. स्ववित्त पोषित योजनाय (8 योजनायें)	33,269
4. अम्बेडकर आवास योजना, 89	कोई पंजीकरण/आवंटन नहीं किया गया है
योग :	1,91,916

तथापि, आवंटन में अनवरत पिछला बकाया उन पंजीकृत व्यक्तियों में रोष का मुख्य कारण है जो प्रतीक्षा सूची में हैं ।